अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 89 - DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	7965,71,00		7965,73,00	5058,13,39	-2907,59,61
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2643,72,79
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	64,50,00		73,37,00	64,22,34	-9,14,66
पूरक	Supplementary	8,87,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,75,21

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	786045.00			
पू.	S.	2.00	521359.98	495328.27	-26031.71
पु.	R.	-264687.02			

(I) ₹202100.00 लाख का प्रावधान – "अन्य" के अंतर्गत तीन मामलों में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहाः–

(का) "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन" – ₹200000.00 लाख हाइब्रिड टीएसए के अंतर्गत अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का स्थानांतरण नयी निधि प्रवाह में किए जाने के कारण।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– अनुसंधान और विकास" – ₹1050.00 लाख योजना का विलय नई योजना "विज्ञान धारा" में किए जाने के कारण।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसंधान और विकास" – ₹1050.00 लाख वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) "भारत का सर्वेक्षण" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "निदेशन एवं प्रशासन – भारत के महासर्वेक्षक" – ₹4315.31 लाख की बचत (₹44042.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतरिक्ष विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता, निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने तथा प्रशासनिक कारणों से ड्राफ्ट्समैन और अधिकारियों को वेतन के बकाया का भुगतान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "मानचित्र, चार्ट, रिपोर्ट आदि का प्रकाशन – मानचित्र प्रकाशन कार्यालय" – ₹2738.35 लाख की बचत (₹3651.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन निर्धारण मामलों की जांच और सत्यापन में प्रशासनिक विलंब की वजह से ड्राफ्समैन/अधिकारियों और सर्वेक्षकों के बकायों के भुगतान में विलंब होने के कारण हुई।

(III) "अन्य" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(I) Provision of ₹202100.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under "Others" - under the following heads:-

(A) "Assistance to Other Scientific Bodies - National Research Foundation" - ₹200000.00 lakhs - due to migration of Anusandhan National Research Foundation (ANRF) in to new fund flow under Hybrid TSA.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Research and Development"- ₹1050.00 lakhs - due to merger of scheme into the new scheme "Vigyan Dhara".

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Research and Development" - ₹1050.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) Under "Survey of India" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Surveyor General of India" - saving of ₹4315.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44042.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the Department of Space, non-finalization of tender and non-payment of the arrear of salary to draftsmen and officers owing to administrative reasons.

(B) "Publications of map, charts, reports etc - Map Publication Offices" - saving of ₹2738.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3651.00 lakhs) was due to delay in payment of arrears to draftsmen/officers and surveyors owing to administrative delay in checking and verification of pay fixation cases.

(III) Under "Others" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" –

(क) "वैज्ञानिक संस्थानों/व्यावसायिक निकायों/स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सहायता" – ₹3657.46 लाख की बचत (₹161220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी मुद्दों और खरीद/भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण हुई।

(ख) "विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड" – ₹8200.00 लाख की बचत (₹73600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी उपकरणों की खरीद की धीमी प्रगति, एएनआर द्वारा परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण" – ₹33208.62 लाख की बचत (₹86800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना का विलय नई योजना "विज्ञान धारा" में किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घ) "नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन" – ₹12652.08 लाख की बचत (₹35540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "अनुसंधान एवं विकास" – ₹29066.88 लाख की बचत (₹29400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान एवं विकास योजना के विलय और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Assistance to other Scientific Bodies" -

(a) "Assistance to Scientific Institutions/ Professional Bodies/Autonomous R&D Institutions" - saving of ₹3657.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹161220.00 lakhs) was due to technical issues and delay in procurement/recruitment process.

(b) "Science and Engineering Research Board" - saving of ₹8200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹73600.00 lakhs) was due to slow pace of procurement of machinery equipment, requirement of less funds towards project by ANR and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Science and Technology Institutional and Human Capacity Building" - saving of ₹33208.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹86800.00 lakhs) was due to merger of the scheme into new scheme "Vigyan Dhara" and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) "Innovation, Technology Development and Deployment"- saving of ₹12652.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35540.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) "Research and Development" - saving of ₹29066.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29400.00 lakhs) was due to merger of R&D scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(च) "राष्ट्रीय क्वांटम मिशन" – ₹36464.49 लाख की बचत (₹42700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) धारा–8 कंपनियों के गठन, चार थीमेटिक हब की स्थापना के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(f) "National Quantum Mission" - saving of ₹36464.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42700.00 lakhs) was due to forming the section-8 companies, submission of the Detailed Project Report (DPR) under establishment of four Thematic Hubs and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "अन्य योजनाएं – प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड" – ₹9500.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Schemes - Technology Development Board" - saving of ₹9500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण" – ₹1857.50 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Science and Technology Institutional and Human Capacity Building" - saving of ₹1857.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs);

(ख) "नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन" – ₹4921.40 लाख की बचत (₹10750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Innovation, Technology Development and Deployment" - saving of ₹4921.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10750.00 lakhs);

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(D) "Tribal Area Sub-Plan"-

(क) "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण" – ₹695.40 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Science & Technology Institutional and Human Capacity Building" - saving of ₹695.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs); and

(ख) "नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन" – ₹3526.14 लाख की बचत (₹6871.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Innovation, Technology Development and Deployment" - saving of ₹3526.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6871.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचत, योजना का विलय नई योजना "विज्ञान धारा" में किए जाने तथा वित्त

Savings under above four heads were due to merger of scheme into new scheme "Vigyan Dhara"

मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय अंतर–विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन" – ₹804.79 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनएमआईसीपीएस के अंतर्गत प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों के चल रहे पुनर्गठन कार्य के कारण हुई।

(ङ.) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अनुसंधान और विकास" – ₹3092.12 लाख की बचत (₹7600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹75943.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में "अन्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:–

(का) "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" –

(क) "सुपर कंप्यूटिंग सुविधा और क्षमता निर्माण" – ₹22100.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹22099.00 लाख था।

(ख) "विज्ञान धारा" – ₹29248.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹24624.53 लाख था।

(खा) "अन्य योजनाएँ – राष्ट्रीय अंतःविषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन" – ₹17698.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹16039.70 लाख था।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – विज्ञान धारा" – ₹3934.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1646.12 लाख था।

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विज्ञान धारा" – ₹2963.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹927.80 लाख था।

and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System" - saving of ₹804.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs) was due to the ongoing restructuring of the Technology Innovation Hubs under NMICPS.

(E) "International Co-operation - Research and Development" - saving of ₹3092.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7600.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2.(I) The above savings were partly (₹75943.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in December, 2024 and March, 2025 under "Others" - under the following heads: -

(A) "Assistance to other Scientific Bodies" -

(a) "Super Computing Facility and Capacity Building" - ₹22100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹22099.00 lakhs.

(b) "Vigyan Dhara" - ₹29248.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹24624.53 lakhs.

(B) "Other Schemes - National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System" - ₹17698.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹16039.70 lakhs.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Vigyan Dhara" - ₹3934.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1646.12 lakhs.

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Vigyan Dhara"- ₹2963.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹927.80 lakhs.

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹697.69 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 42 प्रतिशत था।

(II) Under two heads excess of ₹697.69 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 12 percent and 42 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹914.66 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त ₹887.00 लाख की पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹914.66 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹887.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “5425”	Major Head “5425”				
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	6450.00			
पू.	S.	887.00	6661.79	6422.34	-239.45
पु.	R.	-675.21			

(I) “निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय” के अंतर्गत ₹1596.45 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1736.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्यावरणीय एवं प्रशासनिक कारणों की वजह से भवन निर्माण की धीमी गति होने के कारण हुई।

(I) Under “Direction and Administration - Secretariat” - saving of ₹1596.45 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1736.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to slow pace of building construction owing to environmental and administrative reasons.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹285.30 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 84 प्रतिशत है।

(II) Under one head saving of ₹285.30 lakhs occurred constituting 84 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचत "भारत का सर्वेक्षण – उपकरण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई – ₹1097.70 लाख का अधिक व्यय (₹886.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2361.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सोलह नए वाहनों, सॉफ्टवेयर की खरीद और अप्रचलित तथा बेकार फर्नीचर के प्रतिस्थापन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under "Survey of India - Equipment" - excess of ₹1097.70 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2361.00 lakhs including supplementary grant of ₹886.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of sixteen new vehicles, software and replacement of obsolete and condemned furniture.